रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012026-269584
CG-DL-E-27012026-269584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, बुधवार,जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947
No. 15] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

संख्या 44 /2025-26

विषय: एचएस कोड 1101 के तहत गेहूँ के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्यात की कार्यरीति के संबंध में।

फा.सं. 01/91/180/032/एएम 22/भाग-1/ईसी/ई-32553.—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशालय एतद्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 55/2025-26 दिनांक 16 जनवरी,2026 के अनुसार अधिसूचित, समय-समय पर यथासंशोधित, प्राधिकार पत्र एचएस कोड 1101 के अंतर्गत गेहूँ के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदनों की पात्रता, प्राप्ति और प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कार्यरीतियों को अधिसूचित करता है:

1. आवेदनों का जमा करना:

(क) **ऑनलाइन आवेदन:** निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदक विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट (http://www.dgft.gov.in) –> सेवाएं –> निर्यात –> प्रबंधन –> प्रणाली –> निर्यात के लिए लाइसेंस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(ख) **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय-सीमा**: आवेदनों का पहला सेट 21 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 के दौरान आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद, आवेदक प्रत्येक महीने के अंतिम दस दिनों के दौरान तब तक आमंत्रित किए जाएंगे जब तक उपर्युक्त अधिसूचना, समय-समय पर यथासंशोधित के माध्यम से अनुमत निर्यात की मात्रा उपलब्ध है।

(ग) **वैधता**: निर्यात प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए वैध होगा। वैधता अवधि के विस्तार के लिए किसी भी अनुरोध पर इस सार्वजनिक सूचना के पैरा 2 के अनुसार गठित विशेष ईएफसी द्वारा मामले-दर-मामले आधार पर विचार किया जाएगा।

(घ) **पात्र निर्यातक**: इकाईयों की निम्नलिखित श्रेणियां आवेदन करने के लिए पात्र होगी:

- आटा मिलें/प्रसंस्करण इकाइयां जिनके पास एचएस कोड़ 1101 के तहत गेहूँ के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्माण के लिए वैध आइईएस और एफएसएसआइ लाइसेंस है, जो विनिर्माता निर्यातक के रूप में कार्य कर रही हैं;
- व्यापारी निर्यातक जिनके पास वैध आइईएस और एफएसएसआइ लाइसेंस के साथ-साथ सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के रूप में कार्य करने वाली आटा मिलों के साथ वैध समझौता/आपूर्ति समझौते हैं;

- ईओयूएस/एसईजेड इकाईयां/ अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) धारक जो अपने मौजूदा आयातित गेहूँ पात्रता से अधिक आवंटन चाहते हैं।
- (ड) **अपेक्षित दस्तावेज**: आवेदन जमा करते समय आवेदक को मुख्य रूप मे निम्नलिखित दस्तवेज़ जमा करने होगें, जैसे-

* वैध आइईएस।

* निर्यातक की श्रेणी (निर्माता निर्यातक/ व्यापारी निर्यातक/ ईओयू/एसईजेड/एए धारक)।

* स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र/एईओ का विवरण।

* विनिर्माता निर्यातक अथवा सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के मामले में गेहूँ का आटा/संबंधित उत्पादों संस्थापित क्षमता और औसत मासिक उत्पादन, जैसा भी मामला हो के

* विनिर्माता निर्यातक या सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के एफएसएसएआइ लाइसेंस और फैक्टरी के पते का विवरण, जैसी भी मामला हो।

* व्यापारी निर्यातक के एफएसएसएआइ लाइसेंस का विवरण, जहाँ भी लागू हो।

* पिछला निर्यात निष्पादन (उस वित्तीय वर्ष से पहले तीन वर्षों में, जिसमें मद पर प्रतिबंध लगाया गया था), जहाँ भी उपलब्ध हो;

* आवेदन की गई मात्रा का विवरण (मदवार और देशवार), लदान का पत्तन और प्रस्तावित लदान अनुसूची;

* पुष्टि किए गए निर्यात आदेशों/अनुबंधों की प्रतियां, जहाँ भी उपलब्ध हो,

* गेहूँ (घरेलू) की उपलब्धता, पीडीएस/ स्टॉक-सीमित चैनलों से कोई विचलन नहीं, और सभी लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में स्वघोषणा।

* ईओयू/एसईजेड//एए धारक के मामले में आयतित गेहूँ की उपलब्धता का विवरण, साथ ही एए धारक के मामले में अग्रिम प्राधिकार पत्र का विवरण।

* एक वैध सीए प्रमाण-पत्र जो आवेदक के पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के कुल टर्नओवर को प्रमाणित करता हो, जहाँ भी लागू हो।

(च) **आवेदन के लिए पात्रता मानदंड**: आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे:

* अधूरे आवेदन या ई-मेल या डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

* ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफार्म (www.trade.gov.in) पर सोर्स फॉर्म इंडिया सुविधा पर सूचीबध्द करने के लिए पात्र सभी आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्लेटफार्म पर सूचीबध्द है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन पर किसी भी आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

* किसी भी गलत घोषणा करने के मामले में, आवेदक पर अगले तीन वर्षों तक किसी भी आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(छ) **अहस्तांतरणीय:** प्राधिकार पत्र पूरी तरह से अहस्तांतरणीय होंगे और इनका उपयोग केवल आवंटन आइईसी धारक द्वारा ही किया जाएगा।

1.1. 2500 मीट्रिक टन से कम मात्रा के निर्यात के आवेदन पर आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

1.2 ये कार्यरीतियां एचएस कोड 1101 के तहत आने वाले गेहूँ के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्यात पर लागू होंगी, जो उपर्युक्त अधिसूचना के माध्यम से बनाई गई क्वांटिटेटिव विंडो के तहत 'घरेलू गेहूँ' का उपयोग करके भारत में विनिर्मित किए गए हैं।

1.3 अधिसूचना सं. 39/2015-20 दिनांक 14 अक्तूबर, 2022 के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत या ईओयू या एसईजेड इकाइयों द्वारा केवल आयातित गेहूँ का उपयोग करके गेहूँ के आटे का निर्यात उस अधिसूचना द्वारा नियंत्रित होगा और अधिसूचना सं. 55 दिनांक 16 जनवरी, 2026 के तहत अनुमत निर्यात हेतु नहीं गिना जाएगा।

2. **आवंटन तंत्र और आंवटन/पुन: आवंटन के मानदंड:** प्रत्येक आवेदन हेतु अनुमत निर्यात की मात्रा इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष एक्सिम सुविधा समिति (ईएफसी) द्वारा तय की जाएगी।

2.1 इस संबंध में विशेष ईएफसी की बैठक सामान्यत: महीने में एक बार होगी।

2.2 आवेदनों की जांच करते समय, विशेष ईएफसी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानंदडों को ध्यान में रखेगा, जैसे :-

* आवेदक का पूर्व निर्यात इतिहास;

* विनिर्माता निर्यातक या सहायक विनिर्माता (ओं) की प्रसंस्करण क्षमता, जैसा भी मामला हो;

* व्यापारी निर्यातक और सहायक विनिर्माता (ओं) के बीच वैध अनुबंधों का अस्तित्व।

2.3 विशेष ईएफसी के पास किसी आइईसी धारक को आवंटित मात्रा को किसी अन्य आवेदक को पुन: आवंटित करने का अधिकार भी होगा, जो ऐसे अइईसी धारक के निष्पादन की आवधिक समीक्षा पर आधारित होगा।

3. **रिपोर्टिंग की शर्त**: जिन निर्यातकों को एचएस कोड 1101 के तहत गेहूँ के आटे और संबंधित उत्पादों का कोटा आंवांटित किया गया है, आंवटित कोटा के तहत निर्यात की खेप पूरी होने के 30 दिनों के भीतर विशेष ईएफसी के विचारार्थ sefc-wheatflourdgft@gov.in पर ई-मेल द्वारा लैंडिग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होने पर विशेष ईएफसी द्वारा निर्यातक को सूचित किया जा सकता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 55 दिनांक 16 जनवरी, 2026 के अंतर्गत अधिसूचित आइटीसी एचएस कोड 1101 के तहत गेहूँ के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और इस सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित कार्यरीतियों के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

Directorate General of Foreign Trade

Vanijya Bhawan

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th January, 2026

No. 44/2025-26

Subject: Modalities for export of Wheat Flour and related products under HS Code 1101 – regarding.

F. No. 01/91/180/032/AM22/Pt. I/EC/E-32553.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Directorate General of Foreign Trade hereby notifies the following modalities for eligibility, receipt and processing of applications for issuance of authorizations for export of wheat flour and related products under HS Code 1101 as notified by the Government of India vide Notification No. 5 5 /2025-26 dated January 1 6 , 2026, as amended from time to time:

1. Submission of Applications:

(a) **Online Applications**: All applicants seeking export authorization may apply online by navigating to the DGFT website (https://www.dgft.gov.in)-> Services-> Export Management Systems-> License for Restricted Exports.

(b) **Time-period for filing online applications**: The first set Applications shall be invited during January 21, 2026 to January 31, 2026. Thereafter, the applications shall be invited during the last ten days of each month till such time the quantity of export permitted vide the aforesaid notification, as amended from time to time, are available.

(c) **Validity**: The Export Authorization shall be valid for a period of six months from the date of its issuance. Any request for extension of the validity period shall be considered by the special EFC, as constituted in terms of Para 2 of this Public Notice, on a case-by-case basis.

(d) **Eligible exporters**: The following categories of entities shall be eligible to apply:

- Flour mills/processing units having valid IEC and FSSAI licence for manufacture of wheat flour and related products falling under HS Code 1101, functioning as manufacturer exporters;
- Merchant exporters having valid IEC and FSSAI license as well as valid tie-ups / supply agreements with flour mills functioning as supporting manufacturer(s);
- EOUs / SEZ units / Advanced Authorisation (AA) holders seeking allocation over and above their existing imported wheat entitlements.

(e) **Required documents**: The following documents shall *inter alia* be submitted by the applicant at the time of filing the application, namely:-

- Valid IEC.
- Category of exporter (manufacturer exporter / merchant exporter / EOU / SEZ / AA holder).
- Details of the Status Holder Certificate/AEO.
- Installed capacity and average monthly production of wheat flour/related products in the case of manufacturer exporter or the supporting manufacturer (s), as the case may be.

- Details of the FSSAI license and the factory address of the manufacturer, exporter or the supporting manufacturer (s), as the case may be.
- Details of the FSSAI license of the merchant exporter, wherever applicable.
- Past export performance (including in the three years prior to the Financial Year in which the item was prohibited), wherever available;
- Details of quantity applied for (item-wise and country-wise), port(s) of loading, and proposed shipment schedule;
- Copies of confirmed export orders/contracts, wherever available,
- Self-declaration regarding availability of wheat (domestic), no diversion from PDS/stock-limited channels, and compliance with all applicable laws.
- Details of imported wheat availability in case of EOU/SEZ/AA Holder, as well as details of Advance Authorisation in case of AA Holder.
- A valid CA certificate certifying the overall turnover of the preceding five financial years of the applicant, wherever applicable.

(f) **Eligibility Criteria of Applications:** The applicant shall be required to meet the following eligibility criteria while submitting the applications, namely:

- Deficient applications or applications received through e-mail or by post will not be considered.
- All applicants eligible for listing on the 'Source from India' facility on the Trade Connect ePlatform (www.trade.gov.in) shall ensure that they are listed on the platform, failing which their application shall not be considered for any allocation.
- In case of any misdeclaration, the applicant shall not be considered for any allocation for the next three years.

(g) **Non-transferability**: Authorizations shall strictly be non-transferable and must be used by the allottee IEC holder only.

1.1. Applications seeking exports for quantities less than 2500 MT shall not be considered for allocation.

1.2. These modalities shall apply to exports of wheat flour and related products falling under HS Code 1101, which have been manufactured in India using "domestic wheat" under the quantitative window created vide the aforesaid Notification.

1.3. Exports of wheat flour under Advance Authorisation or by EOUs or SEZ units using only imported wheat in terms of Notification No. 39/2015-20 dated October 14, 2022, are governed by that Notification and shall not be counted against the export allowed vide Notification No. 55 dated January 16, 2026.

2. **Allocation mechanism and criteria of allocation/re-allocation**: The quantity of exports permitted against each application shall be decided by a Special Exim Facilitation Committee (EFC) constituted for this purpose.

2.1. The Special EFC shall ordinarily meet once every month in this regard.

2.2. The Special EFC shall, while examining the applications, *inter alia,* take into consideration the following criteria, namely:-

- Previous export history of the applicant;
- Processing capacity of the manufacturer exporter or the supporting manufacturer(s), as the case may be;
- Existence of valid contracts between the merchant exporter and the supporting manufacturer(s).

2.3. The Special EFC shall also have the authority to re-allocate the quantity allocated to an IEC holder to another applicant, based on periodic review of the performance of such IEC holder.

3. **Reporting condition**: The exporters who have been allocated the quota of wheat flour and related products under HS Code 1101 shall submit the landing certificate within 30 days of completion of export of the consignment within the allocated quota for the consideration of the Special EFC at the e-mail id **sefc-wheatflour-dgft@gov.in**. Any requirement for additional documents may be communicated to the exporter by the Special EFC.

Effect of this Public Notice:

Applications for Authorisations for export of wheat flour and related products under ITC HS Code 1101, notified vide Notification No. 55 dated January 16, 2026, as amended from time to time, shall be invited and processed as per the modalities mentioned in this Public Notice.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Ad. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.27 14:58:39 +05'30'